रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 16, 2001/माघ 27, 1922

No. 36] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 16, 2001/MAGHA 27, 1922

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2001

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिकारी (नियुक्ति, वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विनियमन, 2001

सं. दिल्ली : एनडीडीबी.—राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 (1987 का 37) की धारा 48 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस ओर से प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशक मण्डल एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं आरंभ :

(1) इन विनियमों को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिकारी (नियुक्ति, वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विनियमन, 2001 के नाम से जाना जाएगा।

(2) जब तक कि इन विनियमनों में अन्यथा न कहा जाए, ये उपबंध भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिकारी (नियुक्ति, वेतन तथा भत्ते) विनियमन, 1988

(1) निम्नलिखित विनियमन को विनियमन 37 के पश्चात् रखा जाए,

''37 ए. अधिकारियों की सेवाओं का अन्य संस्थाओं में स्थानांतरण

(1) इनमें अथवा अन्य विनियमनों में समाहित किसी बिन्दु के होने पर भी, जब राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के किसी उपक्रम के स्वामित्व अथवा प्रबंधन को अधिग्रहीत करने के लिए अधिनियम की धारा 43 के आधार पर कंपनी बनायी जाती है, तब प्रत्येक अधिकारी की सेवाएं जो उस उपक्रम के अधिग्रहण के तत्काल पहले वहां कार्यरत हैं अथवा निरंतर आधार पर काम कर रहे हैं, संबंधित कंपनी में स्थानांतरित हो जाएंगी और उसके पश्चात् कंपनी के नियम उन पर लागू होंगे।

बशर्ते ऐसे प्रत्येक अधिकारी को कंपनी द्वारा देय वेतन, भत्ते, ग्रेच्युटी एवं कंपनी द्वारा नियत शर्तें, अधिकारी के स्थानान्तरण से तत्काल पूर्व नियोजित स्थान पर लागू शर्तों से कम नहीं होंगी और उसकी पूर्व सेवा को इस उद्देश्य के लिए पूरा महत्व दिया जाएगा मानो कि उसकी सेवा में कोई व्यवधान नहीं हुआ हो।

(2) ऐसे मामले में जहां कोई अधिकारी, जैसा कि उप-विनियमन (1) में निर्दिष्ट है, इस सूचना के दस दिनों के भीतर लिखित रूप में कंपनी में सेवा न करने की सूचना देता है, उस अधिकारी की सेवाएं आगे से समाप्त मानी जाएंगी, मानो कि संबंधित अधिकारी की सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है, उसे प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा, यदि हो, के लिए पंद्रह दिनों का वेतन तथा मंहगाई भत्ता तथा स्थायी अधिकारी होने की स्थिति में नोटिस के बदले तीन महीनों का वेतन एवं अन्य स्थिति में एक महीने का वेतन दिया जाएगा।

(3) जहां बोर्ड अपने किसी उपक्रम का प्रबंधन किसी अन्य संस्था को लिखित समझौते के आधार पर अंतरित करना उचित समझता है, वहां प्रत्येक मामले पर उप विनियमन (1) और (2) के प्रावधान अन्य स्थितियों के साथ लागू होंगे।

स्पष्टीकरण : इस विनियमन में "उपक्रम" में बोर्ड का विभाजन अथवा व्यापार शामिल है जिसे बोर्ड द्वारा अलग लेखा-जोखा अथवा अन्य के रख-रखाव के कारण, पृथक एंटिटी (entity) माना गया है।"

अमृता पटेल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/IV/असा./132/2000]

NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2001

THE NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD OFFICERS (Appointment, Pay and Allowances) (Amendment) Regulations, 2001

No. DEL : NDDB.—In the exercise of the powers conferred by Section 48 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987) and of all the powers enabling them in that behalf, the Board of Directors hereby make the following amendments namely :

1. Short title and commencement :

(1) These regulations may be called the National Dairy Development Board Officers' (Appointment, Pay and Allowances) (Amendment) Regulations, 2001

(2) Save as otherwise provided in these regulations, the provisions, thereof shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. Amendments to the National Dairy Development Board, Officers' (Appointment, Pay and Allowances) Regulations, 1988.

(1) The following Regulations may be inserted after regulation 37, thus :

"37A. Transfer of services of Officers to other institutions

(1) Where a company is formed in pursuance of Section 43 of the Act to take over the ownership or management of any undertaking of the National Dairy Development Board, notwithstanding anything contained in these or other Regulations, services of every officer, employed or working therein on a continuous basis immediately previous to the takeover of that undertaking, shall stand transferred to the concerned company, and thereafter be governed by the rules of the company .

Provided that every such officer shall be entitled to receive from the company pay, allowances, gratuity and such like terms and conditions which are not less favourable than what was applicable to the officer immediately previous to the transfer, and full credit shall be given to the earlier service for the purpose as if the service had not been interrupted.

(2) In a case where any such officer as referred to in sub-regulation (1), reports in writing, within ten days of notice, not to serve the company referred to therein the services of that officer shall stand terminated forthwith as if the services of the concerned officer is no longer required, subject only to an entitlement of fifteen days pay and dearness allowance, if any, for every completed year of service, together with three months pay in lieu of notice in the case of confirmed officer, and one month pay in any other case.

(3) The provisions of sub-regulations (1) and (2) shall *mutatis-mutandis* apply to every case where the Board deems it appropriate to transfer, by written agreement, the management of any of its undertaking to any other institution.

Explanation The expression "undertaking" in this Regulation will include any division or business of the Board which has been treated by it as a separate entity by maintaining separate account or otherwise."

AMRITA PATEL, Chairman

[ADVT-III/IV/Exty./132/2000]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054